श्री सुशील कुमार शिन्दे : नहीं, वहां पर कनैक्शन फ्री देने की बात हैं। गरीबों के घर में, विशेष तौर पर जो दलित हैं और पावर्टी लाइन के नीचे हैं, उनके घर में हम कनैक्शन फ्री चाहिए। एक बात बिल्कुल स्पष्ट हैं कि अगर बिजली फ्री देनी हैं तो यूटिलिटी को पैसा भरना।

THE ESSENTIAL COMMODITIES (AMENDMENT) BILL. 2005 - *Contd.*

SHRI SHANTARAM LAXMAN NAYAK : Sir, I was saying that under the Essential Commodities Act stocks were properly maintained, essential commodities were available at a fair price, prices were to be displayed on boards in the Fair Price Shops. Therefore, this Act helped the distribution and supply of essential commodities in a regulated way. Sir, before I proceed further, I would like to mention here" that whenever Bills are tabled in the annexures all the related sections are made available to the Members, it will help in the discussion. I do not say this with regard to this Bill only but otherwise also. Now coming to the umbrella aspect of this Act, it is said this Act henceforth should be as an umbrella Act. Of course, it is a vague term as to how it should be an umbrella Act. I would suggest, Sir, if umbrella Act means, when situation arises then order should be issued under the Essential Commodities Act with respect to those commodities, then it may not be an effective step. By umbrella Act I mean that Act and order should remain in force only by administrative instructions and operation must be kept pending. Supposing a situation arises where the Government finds the need for an order under the Essential Commodities Act and till the time the order is drafted, properly passed, properly circulated in the Government machinery, it goes through all the process of approval and then implemented. It may take time. Therefore, the umbrella concept should be such that Act and the orders should be there but they should be kept in abeyance under administrative orders so that if an order has to be invoked, it can be invoked within a few hours. That is the concept of umbrella Act. Secondly, another aspect I would like to stress here is, we have stressed here that because of liberalisation this need for amendment arises. Now, our laws should not be diluted for the purpose of liberalisation. Liberalisation has to come within the framework of our basic laws. For instance, we have not diluted so far our labour laws to suit any policy of liberalisation. In a similar manner, our Essential Commodities Act,

one of the basic laws of the country should not be diluted for the sake of liberalisation or to favour any policy. That concept should not be considered. Thirdly, as far as definition of 'essential commodities' is concerned, who is deciding? Today, it is the Central Government, which decides the definition of 'essential commodities'. Powers are delegated under essential commodities to the State Governments. I would suggest that even the definition of 'essential commodities' should be left partly to the State Government so that when the need arises they can include more commodities by themselves by expanding the scope of definition of 'essential commodities'. Thirdly, as far as drugs are concerned, it is good that it has been included. But the question is, the problems faced by the pharmaceutical industry have to be met and" there has to be proper synchronisation between the provisions of the Essential Commodities Act and the demand of the pharmaceutical industry to reduce excise duty from 16 to 8. Lastly, Sir, as far as adding certain clauses, certain items are concerned in the Statement of Objects and Reasons, one object that has been mentioned for adding is the availability of essential goods etc., whereas in the. definition this aspect is not there. In the public interest, if the public interest demands, then Essential Commodities Act and its provisions have to be invoked. I would, in fact, suggest, Sir, if we have to loosen lightly the Essential Commodities Act, then, we have also to strengthen the Public Distribution System. Sir, more commodities are to be made available through the Public Distribution System because in the liberalisation policy, perhaps in certain areas our common man, people below poverty line may get affected. Therefore, simultaneously Public Distribution System has to be strengthened if Essential Commodities Act has to be implemented. Thank you.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI DINESH TRIVEDI): Shrimat Brinda Karat. She is not here.

SHRI SHARAD ANANTRAO JOSHI (Maharashtra): Mr. Vice-Chairman, Sir, two Jnours back when I was talking about the preservation of wild life, I mentioned that the new technology permits us to resuscitate and even resurrect some of the dead species. In the Panchatantra, there is a story of three Brahmin young men trying to put the bones and flesh of a dead lion together and put life into it. I think, the effort that the hon. Minister for Agriculture is doing here is like resurrecting a dead and bygone dinosaurus. The Essential Commodities Act was a vicious animal. We were hoping that it has gone, dead and buried. The hon. Minister of Agriculture

is, now, trying to resurrect it. This Act has been an anachronism. The Statement of Objects and Reasons does not give full information. The beginning of the Essential Commodities Act is from the Defence of India rule in 1942 which made the arrangements for the kind of controls on distribution, production and supply. It is only when the war was over, there was some thought about whether it should be converted into a regular legislation. Unfortunately, it was only after Independence that this draconian Act was passed. For the farmers, the Essential Commodities Act has been the major instrument of their exploitation and I can say that had there not been the Essential Commodities Act, there would not have been a spate of suicides that we see amongst farmers today.

There was a talk of balance under views under the Essential Commodities Act to ensure that the consumers are also not given an unfair treatment. I would say that the Essential Commodities Act has been managed and administered by the salaried-class of consumers who have always mistaken and always given a skewed treatment to the farmers. An example is this. In 1960 when we had the first agitation for the price of onion, the export was banned when the price of onion has reached in Delhi Re. 1 per Kg. At that time, the balcony ticket of cinema houses in Delhi was Rs. 2.50. Today, it is more than Rs. 100. So, one would expect that if you are being fair to the consumer, then there should be no complaints until the price of onion reaches, at least, Rs. 40 to 60 per kg. Even now, when it comes to Rs. 6 per Kg. the Government start thinking of banning the export *or* making import of onion. So, it is not an act which has been impartially, fairly implemented in a balanced way. It has, principally, been an anti-farmer legislation. That can be compared with the Rowlatt Act of the bad British days. Sir, the implementation has been like this . In the days of famine when we did not have enough foodgrains and, in the days of famine, the Government used to collect compulsory levy from farmers. Even when they had not produced enough, the farmers were forced to purchase foodgrains from the market and deliver it to the Government at prices fixed by the Government. It was under this Act. When the farmers had a surplus production and they could make some money by exporting it to abroad, then exports were banned precisely under this Essential Commodities Act. The farmers were forced to deliver their sugarcane to only one given factory decided by the Government under this Act. So, this Act has been a draconian Act. And, I think, I would request Shri Sharad Pawarji, hon. Minister of Agriculture, who loves farmers and whom farmers love that it will be good signal if you simply scrap the Essential Commodities Act. I think

that will help farmers and the rate of suicides will come down. If it has not come down with the package of the hon. Prime Minister, I think, this will be a very effective signal and, you will certainly, go up in the estimate of the farmers as well.

And, Sir, on the Bill, there are some amendments proposed by hon. Shrimati Brinda Karat. I would say that the trend of those amendments is very funny. Everybody - the Ministers and the Chief Ministers of States - agreed that the Act has served its purpose. Now, it has to be kept only nominally alive as an umbrella and the Communist would like that the scope of this legislation be expanded! For example, there is a provision in the Bill that when the Government thinks that some of the commodities don't need to figure in the Essential Commodities List, then that item can be removed. The Communists want that power to be taken away from the Government.

SHRI MOINUL HASSAN (West Bengal): Why the name of Communist is coming here? It is irrelevant.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI DINESH TRIVEDI): Sharadji, please carry on and stick to your subject.

SHRI MOINUL HASSAN: Sir, why is the name of Communist coming here?

SHRI SHARAD ANANTRAO JOSHI: This amendment has been proposed by Smt. Brinda Karat.

SHRI MOINUL HASSAN: It is not only Smt. Brinda Karat, I myself also proposed some amendments. The point is why the name of Communist is coming here?

SHRI SHARAD ANANTRAO JOSHI: The name that is given here is that of Smt. Brinda Karat. I don't see your name here. Okay. Forget about it.

SHRI MOINUL HASSAN: Why is the name of Communist coming here?

SHRI SHARAD ANANTRAO JOSHI : Secondly, it is also proposed that items like cotton, jute yarn, newsprint paper should not be there. We have experienced that when the levy was on rice, and not on paddy, it was the paddy price that was affected. So, we would say that even the secondary commodities, which figure in the Essential Commodities Act,

would actually do injustice to the farmers. The provision in the Act is that the Government of India will decide which commodities are to be taken out and which commodities are to be put in, and whether to extend the time period given for that particular commodity or not. I think, the Essential Commodities Act has lived too long to be good. And, while it is agreed and decided that it has served its purpose during the period of scarcity, it serves no useful purpose at all, excepting depressing the prices of agricultural commodities in the market. Therefore, I hope that the Minister of Agriculture will take bold initiatives. He may possibly withdraw it. He may not be able to do it just now, I see his difficulties. But I would ideally like that the Act should be simply scrapped. Further, if at all he is not able to scrap it, then, I would say that the decision about addition or deletion of commodities should be taken by sort of a Regulatory Authority, to be established under his Ministry, so that the decisions can be taken quickly and in a representative manner.

SHRI MONUL HASSAN : Sir, I would like to speak on this Bill with some reservations. I hope that the hon. Minister would clarify the position. I have already sent two amendments also. I suppose, the Bill, namely, the Essential Commodities (Amendment) Bid, 2006 is an outcome of the Chief Ministers' Meeting held on 21" May, 2006. In the Statement of Objects and Reasons, it is said, I quote, "The production, supply and distribution of essential commodities". I would first like to stress upon the phrase 'distribution of essential commodities'. In this very House, some days ago we had discussed about the Public Distribution System. So, on this occasion, I would like to inform this House and say that our intensity and our attitude should be to strengthen the Public Distribution System throughout the country. Everyday, we read in the newspapers that farmers are committing suicide in different parts of the country. On that particular day, we had discussed that even *rati* and *dai* are not available to the common man. So, the Public Distribution System is one of the great outlets of our system to provide them some relief. But we are saying everyday that the number of suicides by our beloved farmers is going up. So, I would like to say, while we are talking about the essentiality of commodities, essentiality of distribution of essential commodities to the people of India should be in incorporated in this Bill or the hon. Minister should clarify. Hon. Minister, Shri Sharad Pawar, is present here.

Sir, my second point is this. I beg to differ with this philosophy 'liberal economy is going on throughout the world'; and in our wish or not in

our wish we are in the trap of liberal economy in the country. So, in that perspective we are trying to reorganise everything. I defer with this philosophy. So, in a liberal economic era, we are going to reorganise the essential commodities. I would like to say that it is not proper to bring about a legislation in this context. So, I would like to request the hon. Minister to consider this situation.

Another point which I would like to submit is this. What are the essential commodities? Essential commodities are, usually, used by the common people who are below the poverty line of our country. We are trying our best to supply them commodities at a cheaper rate through the Public Distribution System, this I have told earlier. We are trying our best to do something for the common people of our country.

Another point which I would like to submit and which one hon. Member has mentioned is that it is the State Governments which have the power to find .out which are the essential commodities. Everything is left to the State Governments. Are we in a position to encroach upon the power of the State Government through this piece of legislation? I would like to mention a point which is last but not the least one. Why are we changing the list of essential commodities list? He has mentioned that it is because of the demand and supply position. What is the harm if it is in the essential commodities list? If the demand is less and supply is more, okay, we will go in the open market and purchase it. Why are you doing this? Actually, if we want to improve the situation of the common people, we should include more and more commodities in the list of essential commodities. This is my opinion.

My other opinion is that when we add or fix the time-frame for the essential commodities, we must consult the State Governments. Law and order, agriculture, etc. are in the hands of the State Governments. I suppose, this is one of the important essentialities of this concept, which is dealt with here. So, with these words, I would like to conclude.

SHRIMATI S.G. INDIRA (Tamil Nadu): Thank you, Sir. I want to put forth my limited points. I don't want to go into a detailed discussion because everyone has already spoken on this. It has been mentioned in clause 3(4) that the Central Government may exercise its powers under sub-section -(2) in respect of the commodity. This means that the Central Government has wide powers in fixing up the essential commodities and they have the deciding power. Here I want to say that at this point, the

concurrence of the concerned State should also be taken. They should be called for discussion and after that the Central Government might decide accordingly.

I want to put forth another point. If that particular State Government invokes its power to restrict the free movement of certain essential agricultural commodities, then, the Central Government should not invoke its overriding authority to nullify the order of that concerned State Government. The State Governments have their own agricultural produces and commodities in a particular year. At that time, the Central Government should not override the State Government's power. The Central Government should also keep monitoring the production of essential and major agri- produces to know exactly the demand and supply position of the country. This will help the Centre in judiciously deciding whether the demand of certain States to restrict free movement of certain produces is in larger interests or not. So, the Central Government should also consider and monitor this. Another important thing is, the Centre can control import and export of agri- produces. Any unthoughtful import of produces, without taking into account the domestic demand, domestic production, will put the farmers to hardship. So, farmers' interests should also be protected. Similarly, when there is expected domestic shortage, the export of agricultural produces should be done keeping in view the interests of the farmers and the nation. So, I don't want to go into what are the things to be added or deleted, but on a particular occasion, the views of the concerned State Governments should be taken into account and the interests of agricultural producers, consumers and traders should also be taken care of. Thank you.

SHRI RAVULA CHANDRA SEKAR REDDY (Andhra Pradesh): Mr. Vice-Chairman, Sir, elaborate material has been provided in the Statement of the Objects and Reasons of this Bill. I would like to draw the attention of the hon. Minister to two or three points. One is, we are aware that everything is dependent on demand and supply. Now, the markets are demand-oriented. We are having demand-driven markets. Often, we witness, whenever there are elections, both at the Central level and the State level, the Governments are concerned more about the common man. They will be providing all the required essential commodities at the Fair Price Shops, or, at the outlets provided by the Government itself. Why can't we make it a regular feature? However, day after tomorrow, we are going to discuss about the agrarian distress and I will try to elaborate all

7.00 P.M.

these things during that debate, but my limited point here is, you are trying to amend section 2 by inserting section 2 A. Sir, in section 2A-- foodstuffs have been mentioned here-- I request the hon. Minister to elaborate the definition of foodstuffs. Last week, we discussed about colas, whether they are part of foodstuffs or not. If that is so, whether this proposed Act applies to them or not.

The other point is, since many of my colleagues have raised the issue of Centre-State conflict on essential commodities, why is this confusion? I request the hon. Minister to clarify this. Even if you make any legislation, you have to depend on the State machinery, you don't have any separate mechanism to oversee your legislation. Invariably, you have to delegate your powers for proper implementation of this enactment itself. However, you have mentioned that you have consulted all the State Chief Ministers. During your discussions with them, you have come out with certain proposals. I request you to take their views into consideration while enacting this legislation and send it to the States for its implementation. Sir, you want to have the entire power of declaring whether a commodity is an essential commodity or not. Now, this power is vested with the Central Government by virtue of this enactment. I think, at times, there will be conflict, if the State Government is of a different political party and at the Central level, some other political party is at the helm of affairs. So, due to this, some sort of confusion or conflict or contradiction is bound to be there. I request you to clarify this issue.

The other point is regarding free movement of agricultural produce. However, I will not deal with it elaborately at this moment and I expect answer from the hon. Minister on this aspect during the discussion on agrarian distress. But I would like to say that though there are no restrictions as far as agricultural produce is concerned, but even today farmers are facing problems while transporting their produce. We *need* a clarification on this point as well. What exactly is the status now?

The next point is regarding the Schedule (Section 2A). Certain items like yarn, cotton, etc., are brought into this Schedule on par with foodstuff, fertilisers and other things. We need some clarification as to how all this has crept into it. Why do you want to include this aspect into this Schedule?

With these words, I conclude. Thank you.

DR. GYAN PRAKASH PILANIA (Rajasthan): Thank you, Sir, for your kind indulgence. I have no audacity to suggest to the hon. Agriculture Minister that 'scrap this Act totally'. But I want to humbly make certain suggestions and to share certain apprehensions.

As usually said, Sir, 'the Government that controls the least, serves the best.' And, it is also said that 'Way to hell is paved with good intentions.' Any Government, which brings some kind of control through any kind of mechanism, - it may be Essential Commodities Act or it may be any other kind of Act - put some kinds of restrictions which have usually a kind of penal penalties clause and which creates trouble. Earlier Governments have also been keeping it, as it was pointed out. It was during those days of controls, during the war days when the British were ruling us, when things were scarce, sugar was not available, cloth was not available, kerosene was not available, many other things were not available; control was even imposed in England itself, which was being bombarded daily by Nazis. It is an outcome of that historic past that some kind of Essential Commodities Act has come up. The earlier Government had it; the present Government is also having it. In earlier Government, as has been pointed out, there was a conference of Chief Ministers of States, -there were only six; all the States were not represented; they might have called all, but only six might have turned up -- the Planning Commission was also consulted and the objective was basically to ensure free movement of agricultural produce because farmer is the backbone of the country. And, it was felt that as there was no freedom to him to take his produce wherever he wanted to sell them at the best price, at the best bargain. Hence, the anxiety of the Government was that free movement of agricultural produce should be ensured and the restriction on the movement of all agricultural commodities should be removed. Hence, in 2002, eleven commodities were deleted from the list; in 2004, three commodities -were deleted from the list; now, our hon. Agriculture Minister, in 2006, through this amendment, is deleting another ten of them. I appreciate. The more the deletion, the better it would be. As has been pointed out, Inspector Raj takes place whenever there is control because such kinds of control mechanisms prove to be an engine of oppression and breeding ground for corruption. It has been like that everywhere. The person who suffers most is the poorest of the traders. The Essential Commodities Act is hardly invoked against big trading houses, public sector undertakings or private undertakings. It is the poor person, who is selling products in the villages, that some Inspector goes and threatens and gets money from him. If he

does not pay, a case is registered. And, registering of a case is a terrible thing against him. It is non-cognisable, non-compoundable, non-bailable and the puniehment is draconian. Only that man knows the agony who has gone through this and who has been harassed through this.

Therefore, my request to the hon. Minister, who is so large-hearted and kind-hearted, would be, to ensure that the penal provisions of this Act are not exploited by petty Inspectors and other persons and it does not act as an engine of harassment.

Another point, which has been rightly pointed out by my illustrious predecessors is, public distribution should be a corollary whenever you enforce any Kind of Essential Commodities Act; because, then it becomes the bounden duty of the Government that they rightly ensure the supply of basic essential commodities. Essential commodities, as its phraseology says, are those commodities on earth, which are essential for the survival of the common man. It may be wheat; it may be rice; it may be kerosene oil; it may be sugar; it may be salt; it may be any kind of thing, which is essential for the survival and living of the common, poorest of the poor man, whom we call *daridra narayan.* Those products should be under the Essential Commodities Act. There, you have put in petroleum and petroleum products. You have already got many kinds of Acts under your control, by which you control petroleum and petroleum products, and they are virtually the monopoly of the State; whether you keep it under the 'Essential Commodities' or not, it does not matter.

Another thing about which I would like to make a submission is this. Our Agriculture Minister is known as a man who is a champion and messiah of farmers. He must ensure that these restrictions do not adversely affect the famer, who is the real backbone of the country. His interests must be protected.

Another point that I would like to submit is, any kind of Essential Commodities Act, whether you have one type of commodities here or other commodities there, does not, in any way, contribute to the production of those commodities. That is one thing. Also, it does not contribute to bringing down their prices. Their prices are controlled by mechanisms of demand and supply and by the amount of production. So, that is a very different aspect, which we need to take care of.

Another point, which has been already submitted, is some kind of consultation mechanism must be there with the States, because they are

the ultimate users and ultimate authority to take action on Government restrictions. Now, which commodities must be included? You have now included seven commodities. What is the rationale behind including them and what is the rationale for not including other commodities? This should be done through some kind of an expert mechanism, some select committee or some kind of consultation with the States. It is for the Central Government to decide what mechanism should be there. But, some mechanism should be there. And, I feel assured that under the able leadership of our Agriculture Minister, this would be rightly looked into; many points and apprehensions which we have put forward would be properly taken care of and this would remain only an umbrella legislation, which is not used when the weather is good, but which is used only when there is torrential rain and flood or there is a hailstorm. Otherwise, it should not be used as a common piece of legislation.

Thank you very much, Sir, for bearing with me.

श्री जय प्रकाश अग्रवाल (राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली) : सर, मैं इस बिल का समर्थन करता हूं।मैं आशा करता हूं कि जिस मकसद से आप यह बिल लाए हैं, उससे आम जनता को फायदा होगा। लेकिन एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट के अंदर जो आइटम्स आपने रखे हैं, जैसे उसमें आपने ड्रग्स रखे हैं और जो मल्टी नेशनल कम्पनियां यहां माल बेचती हैं, जो पेंटेट के तहत उनकी दवाइयां हैं और उनके जो दाम हैं, वे दाम हैं, वे दाम किस तरह के भी दाम हों वे इंटरनेशनल प्राइसेज पर यहां इसे बेचते हैं, तो उनके ऊपर आपका क्या कंट्रोल होगा? हो सकता हैं, जो लोकली इंडिया में मैन्यूफैक्चर करती हैं, आप उनको तो कंट्रोल कर सकते हैं, लेकिन ये कम्पनियां किस तरह आपके कंट्रोल में आएगी और किस तरह के आइटम एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट ड्रग्स के अंदर आएंगे, मैं कह नहीं सकता।

इसी तरह दूसरा आइटम फूड स्टॉक का हैं। जब आपने Food Safety and Standards Bill, 2005, as passed by the Parliament, तो फिर अब इसके अंदर जो आइटम्स आने वाली हैं, ये किससे रेग्यूलेट होगी? ये उस बिल से रेग्यूलेट होगी या एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट के अंदर आने के बाद फिर से इसे रेग्यूलेट करेंगे? इसी तरह आप पेट्रोलियम एण्ड पेट्रोल प्रोडक्ट के लिए Petroleum and Natural Gas Regulatory Authority Bill ला चुके हैं। जूट के लिए रॉ जूट के लिए आपके पास National Jute Board Bill, 2006 हैं। सीड्स के लिए Seed Bill, 2004 हैं, जो अंडर कंसिडरेशन हैं। इसके साथ-साथ 3 आइटम्स जो स्टैडिंग कमेटी ने कहीं हैं । The Standing Committee found that none of these commodities faced any shortages, and did not find any reasons to include these. It recommended that the list should include only those commodities that faced hoarding, blackmarketing and shortages and that could not be addressed through normal trade channels. It noted that including commodities in the schedule merely to ensure 'quality' cannot serve any purpose.

Number two, the Central Government can notify any other commodity as an essentia) commodity for a period of six months. It can extend this period any number of times. The Committee has recommended that in case of extension beyond two years, the Central Government should be required to inform Parliament of the steps taken to restore normal supply of that commodity.

Number three is that the procedure for notification is not specified.

मेरा मानना हैं मंत्री जी, कि ये तीनों चीजें, जो स्टैडिंग कमेटी ने कहीं हैं, इनका explanation बिल में तो नहीं हैं और मैं चाहता हूं कि जब आप जवाब दें तो कम से कम इनकी तरफ ध्यान देकर आप इसका जवाब दे दें। चौथा प्वायंट यह हैं कि जो एसेशियल कमोडिटीज हैं, जैसे इसमें खाने की चीजों का है, तो मकसद साफ हैं कि होर्डिंग नहीं होनी चाहिए और दाम नहीं बढ़ना चाहिए तथा जो कॉमन आदमी हैं, उसको यह मिले।

महोदय, अब मैं आपका ध्यान उन मल्टी नेशनल कम्पनीज की तरफ दिलाना चाहता हूं, जिन्होने आज खाने-पीने की चीजों पर पूरा कब्जा कर रखा हैं। ये बहुत पैसे वाली बड़ी कम्पनियों हैं। उनके पास बहुत पैसा हैं, बहुत ताकत हैं और उस ताकत की बिना पर वे उस सामान की ,खरीद करती हैं। जैसे दिल्ली एक बहुत बड़ा डिस्ट्रिब्यूशन सेंटर रही हैं, हमेशा से, जब से दिल्ली बसी है। यहां पर हमारा "नया बाजार" या जो किराने का बहुत बड़ा मार्केट हैं और खाघान्न का बहुत बड़ा मार्केट हैं, वह एक बहुत बड़ा डिस्ट्रिब्यूशन सेंटर है। वहां पर बहुत बड़े-बड़े ट्रेडर्स हैं। लेकिन आज इन मल्टी नेशनल कम्पनियां के सामने इनका क्जूब खत्म होता नजर आता हैं। ऐसा लगता हैं कि ये बैंकरप्ट हो जाएंगे, खत्म हो जाएंगे। उनके पैसे और ताकत के सामने तो इनके पास कुछ नहीं हैं। ये तो उसमें कुछ नहीं कर सकते। अब आप यह देखिए कि कुछ कम्पनियां ऐसी हैं, जिन्होने यहां हिन्दुस्तान पर कब्जा किया, जिनमें Australian Wheat Board है, Adami, Olam, Kargil India और ITC है । ये FCI के मुकबाले में माल खरीद करते हैं। ये मंडियों के बाहर अपना कांटा लगाकर माल खरीदते हैं। इनको cess का पेमेंट नहीं करना पड़ता। इन्होने लाखों टन अनाज अपने गोडाउन में होल्ड कर रखा हैं। ट्रेडिंग की परमिशन इनको कैसे मिली? शायद यह पहली सरकार ने दी थी, जिसको आप कन्टीन्यू कर रहे हैं। लेकिन इससे हमारा जो व्यापार हैं, उस पर बहुत बड़ा फर्क पडता हैं। पिछले कुछेक सालों में दाम बढ़े हैं । इस दाम को बढ़ाने का इन कम्पनियों से सीधा रिश्ता जोड़ा जा सकता हैं। जिस तरह से इन्होने होडिंग की, पैसा फेंकते हैं, माल खरीदते हैं, FCI जिस वाम पर माल खरीदती हैं, ये उससे और ज्यादा पैसा देकर माल खरीदते हैं, मार्केट में माल की शॉर्टेज करते हैं और ट्रेडिंग होने नहीं देते। इस वजह से दाम बढ़ते हैं जिसका सीधा असर आम जनता पर पड़ता हैं। मैं आशा करता हूं कि आप ऐसी कम्पनियों के ऊपर क्या रेग्युलेशन लगाने वाले हैं? किस तरह से आप पाबंदी लगाएंगे, ताकि होर्डिंग-होर्डिगं का क्या मतलब हैं? होर्डिंग की क्या डेफिनेशन हैं? कौन आदमी कितना सामान रख सकता हैं? एक साधारण व्यापारी, जो अपने गोडाऊन में माल रखेगा, वह तीन सौ, चार सौ या पांच सौ बोरी माल रख लेगा, लेकिन इन कम्पनियों ने लाखों बोरियॉ अपने यहां के गोडाऊन में रखी हुई हैं। इनके ऊपर क्या पांबदी हैं? कितने समय तक यह एक पर्टिकुलर स्टॉक को रख सकते हैं ताकि उससे होर्डिग न

हो, उससे दाम न बढ़े, लोगों को सामान मिलने में दिक्कत न हो और जो डिमांड और सप्लाई का फर्क आता हैं, जिससे कीमते बढ़ती हैं, उस पर रोक लगाई जा सके? मैंने शायद पहले भी एक बार इस बारे में जिक्र किया था और आज फिर कहता हूं कि अगर आपने वह पाबंदी नहीं लगाई तो जो गेहूं का बाम अभी 1,000/- रूपए हैं, वह 1,100/- रूपए, 1,200/- रूपए हो जाएगा। आज की तारीख को आप लिख लें और मेरा शब्द भी आप लिख लें। मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि जो पलसेस के साथ हुआ, वही गेंहूं के साथ भी हो रहा हैं। जो दाम बढ़े हैं, वे अभी तक कम नहीं हुए हैं। किसी भी चीज के दाम कम नहीं हुए हैं। मैं आशा करता हूं कि आप कोई न कोई ऐसा रास्ता ढूंढेंगे, कानून बनाकर या किसी भी तरह से , कि आप इन कंपनियों को रोक सके।

महोदय, इसके साथ ही मैं यह आशा करता हूं कि हमारे जो व्यापारी हैं, चाहे वे हमारे लोकल छोटे व्यापारी हों या बड़े व्यापारी हों, जो अनाज मंडियों में सालों साल काम कर रहे हैं, उनको मल्टीनेशनल कंपनीज के मुकाबले अधिक मजबूत करने के लिए, उनको ताकत देने के लिए आप कानूनों में कुछ रिलेक्सेशन करेंगे, कभी करेंगे ताकि उनका जो पहले व्यापार चलता था, वह व्यापार उसी तरह चले, ये कंपनियां उनको खा न जाएं या उनके व्यापार को ये खत्म न कर दें। ऐसा कभी भी नहीं हुआ कि दाम इस तरह से दुगुना हो गए हों, डेढ़ गुना हो गए हों और जिसका बोझ आम जनता पर पड़ा हो, व्यापारी वर्ग पर पड़ा हो। इनके लिए आपको देखना होगा ताकि हमारी दिल्ली का जो डिस्ट्रिब्यूशन करेक्टर हैं, वह भी बचा रहेगा, व्यापारियों को काम भी मिलता रहेगा और वे बेरोजगार भी नहीं होंगे।

महोदय, मेरा आखिरी मुद्दा यह हैं कि जो स्टेटवाइज होर्डिंग होती हैं, जहां-जहां पैदावार होती हैं, वहां-वहां ये अपने गोदाम बना लेते हैं और वहां गोदाम बनाने से इनका ज्यादा खर्चा भी नहीं पड़ता। इनके पास पैसे की कमी नहीं होती और जहां पैदावार होती हैं, वहीं गोदाम होने की वजह से वे उस पैदावार को लेकर अपने-गोदाम भरते हैं। तो उनके ऊपर आप पांबदी लगाएं क्योकि वह पांबदी लगने से उन चीजों के दाम कम होंगे। यह शायद असेसियल कमोडिटीज एक्ट की उतनी धाराओं के अंदर नहीं आएगा, उस पाबंदी में नहीं आएगा और फूड स्टॉक का फ्री ट्रेड होगा, उससे आम जनता को फायदा होगा और शायद जो मकसद आप चाहते हैं, वह मकसद पूरा होगा। धन्यवाद।

श्री शरद पवार : उपसभाध्यक्ष महोदय, असेंसियल कमोडिटीज एक्ट में सुधार करने का यह प्रस्ताव सदन के सामने हैं। मुझे खुशी हैं कि इस बारे में यहां कई प्रैगमेटिक एप्रोच लेने के भी सुझाव आ गए हैं और साथ ही साथ जो पुराने दिन थे, उन पुराने दिनों की याद को भी रखने का काम यहां हमारे कुछ साथियों ने किया। यह बात पक्की हैं कि इस देश में आम आदमी को जिन चीजों की आवश्यकता होती हैं, रीजनेबल कीमत पर उनकी उपलब्धता हो, इस ओर ध्यान देने की जिम्मेदारी भारत सरकार की हैं, राज्य सरकार की हैं। कई माननीय सदस्यों ने यह बात भी रखी कि कृषि उत्पादन की जिम्मेदारी जिन वर्गों पर हैं, उनके हितों की भी रक्षा करनी चाहिए, उनको उचित दाम मिलना चाहिए, उनकी पैदावार जो मंडियों में आती हैं, उसकी मूवमेंट पूरे देश में होनी चाहिए ताकि आज देश के सामने यह जो समस्या किसानों की आत्महत्या की आ रही हैं, उससे शायद छुटकारा होने में मदद हो।

महोदय, पहला जो सवाल यहां उठाया गया, यह प्रोक्योरमेंट से संबंधित सवाल हैं। पब्लिक डिस्ट्रिब्यूशन सिस्टम को मजबूत करना, यह सरकार की जिम्मेदारी हैं। इसमें कोई दो राये नहीं हैं,मगर पब्लिक डिस्ट्रिब्यूशन सिस्टम के लिए जो गेहूं लगेगा या चावल लगेगा, वह हम कहां से लाएंगे? वह हमें किसानों से खरीदना पड़ेगा। आज तक किसानों से खरीदने का जो सिस्टम इस देश में लागू था, उसका लाभ सरकार को जरूर होता था, मगर किसानों को कहां तक लाभ होता था, यह देखने की परिस्थितियां आज हमारे सामने आई हैं, इसी साल हम लोगों ने देखा। यह बात सच हैं कि इस साल देश में गेहूं का उत्पादन जितनी हम अपेक्षा करते थे, उतना नहीं हुआ। जो कीमत तय की गई, वह शायद किसानों को पसंद नहीं होगी। मगर, पिछले साल तक जो व्यवस्था देश में थी, उस व्यवस्था के मुताबिक किसान को अपना गेहूं ले जाकर वही बेचना पडता था और एग्रीकल्वर प्राड्यूस मार्केट एक्ट के अन्तर्गत उस मंडी में जिन खरीददारों को लाइसैंस दिया जाता था, वे लाइसैधारी ही सिर्फ खरीद कर सकते थे बाकी किसी को खरीदने का अधिकार नहीं था। देश के सभी राज्यों के, चाहे चीफ मिनिस्टर हों, चाहे मार्किटिंग मिनिस्टर हों, चाहे एग्रीकल्वर मिनिस्टर हों, उनके साथ भारत सरकार ने डिटेल्ड डिस्कशन किया और एक राय बनी कि देश में पैदावार करने वाला कोई भी घटक हो, वह अपनी उपज कहीं भी बेच सकता हैं और इसमें एक्सैप्शन सिर्फ किसान था, इसलिए किसानों को भी यह अधिकार दिया जाना चाहिए कि वे भी अपनी पैदावार कहीं भी बेच सकें और अगर हमें उन्हें यह अधिकार देना हैं तो एग्रीकल्वर प्रोडयूस मार्किट एक्ट में बदलाव करने की आवश्यता हैं और उसमें जो कम्पल्शन हैं मंडी में माल ले जाकर बेचने की , उसको निकालने की आवश्यकता हैं। इस पर युनेनिमिटी हुई और देश के 22 राज्यों ने इस बारे में कानून में दुरूस्ती की। कई राज्यों ने ऐडमिनिस्ट्रेटिव ऑर्डर निकाले और इस कारण यह पहला साल हैं जबकि किसान अपनी उपज कहीं भी ले जाकर, किसी को भी बेच सकता हैं।ृ अगर भारत सरकार की कीमत 650 रूपए हैं, उसको कोई 670 रूपए देने के लिए तैयार हैं तो वह 670 वाले को भी बेच सकता हैं। जैसा अभी यहां श्री जय प्रकाश अग्रवाल जी ने कहा, यह बात सच हैं कि इस साल कई लोग मंडी में माल लाए ही नहीं, अपने गांव में ही माल बेचा, इससे किसानों को नुकसान नहीं हुआ, उनको दो पैसे ज्यादा मिले उनकी ट्रांसपोर्ट कॉस्ट कम हो गई, मंडी का टैक्स बच गया और आज तक उनको जो कीमत नहीं मिलती थी, वह कीमत मिलने का एक नया रास्ता उनके सामने खुल गया। यह किसानों के हितों की बात हैं। मगर, इसके साथ ही साथ एक दूसरी बात भी हुई कि पब्लिक डिस्ट्रिब्यूशन की जो हमारी जिम्मेदारी हैं, उसके लिए जो हम 16 मिलियन टन गेहूं खरीदना चाहते थे, वह हम नहीं खरीद सके, हम 9 लाख मिलियन टन गेहूं ही खरीद सके। हमें भी सोचना होगा, भारत सरकार को सोचना होगा, राज्य सरकार को सोचना होगा। डिमांड और सप्लाई के बारे में यहां बहुत चर्चा की गई, मगर साथ-साथ पब्लिक डिस्ट्रिब्यूशन की जिम्मेदारी भारत सरकार द्वारा लेने के बाद, एक सोशल रिस्पॉसिब्लिटी लेने के बाद, यह सोशल रिस्पॉसिब्लिटी लेने की तैयारी जो सरकार ने की, यह सरकार ने की, यह सरकार का कदम है, यह सरकार की पॉलिसी हैं, यह किसानों की पॉलिसी नही हैं और इसलिए गवर्नमेंट यदि किसी अच्छी, आम लोगो को मदद करने वाली नीति पर अमल करना चाहती हैं, तो वह नीति should not be at the cost of the famer. उस नीति पर अमल करने के लिए गवर्नमेंट को ट्रेजरी से ज्यादा पैसे का प्रबंध करना होगा और समाज का जो गरीब वर्ग हैं, उसके हितों की रक्षा करने के लिए वहां सब्सिडी बढ़ाकर ऐसा बंदोबस्त करना पड़ेगा कि उनको पब्लिक डिस्ट्रिब्यूशन में वह उपज मिले। आज यह बदलाव करने की आवश्यकता हैं और अगर यह बदलाव हम नहीं करेंगे तो एग्रीकल्वर

प्रोडंयूस मार्किट एक्ट में हमने जो बदलाव किए हैं, वे अपना माल उनको जहां ठीक कीमत मिले, वहां बेच सके, उनका लाभ किसानों को नहीं मिल पाएगा। किसान भी अब सोचने लगा हैं कि उसे अपना माल कब बेचना चाहिए, कहां बेचना चाहिए और इसका असर PDS पर बुरा होगा और अगर उस PDS को मजबूत करना हैं तो ओपन मार्किट से जाकर खरीदने की भी हमें तैयारी रखनी होगी। हम लोगों को PDSमजबूत करने की तैयारी करनी होगी, तभी हम गरीब लोगों के हितों की रक्षा कर सकते हैं। पीडीएस की जिम्मेदारी से हम बिल्कुल भी कॉम्प्रोमाइज नहीं करना चाहते हैं। आम लोगों को एसेंशियल कमॉडिटीज उचित मूल्य पर उपलब्ध कराने के लिए जो भी बंदोबस्त करना होगा, वह हम अवश्य करेंगे। लेकिन वह बंदोबस्त हमें किस तरह से करना हैं, आज उस पर अलग से सोचने की आवश्यकता हैं और उसके लिए जरूरी हैं कि एसेशियल कमॉडिटीज एक्ट में कुछ बदलाव लाया जाए।

श्री रामदास जी ने कहा कि इससे पहले राज्य सरकार को कॉन्फिडेंस मे लेने के लिए प्रयास किए गए थे, यह बात सच हैं। 21 मई 2001 में चीफ मिनिस्टर्स की एक कॉन्फरेंस बुलाई गई थी, जिसमें देश के सभी राज्यों के चीफ मिनिस्टर्स अथवा उनके प्रतिनिधि शामिल हुए थे। उसमें एक जनरल बात यह हुई कि एग्रीकल्चर प्रोडयूस की उचित कीमत प्राप्त करने के लिए उनके ऊपर जितनी भी रेस्ट्रिशन्स हैं, उन रेस्ट्रिक्शन्स को कम करने के लिए कुछ कदम उठाने की आवश्यकता हैं। इसके लिए उसके डिटेल में जाने की आवश्यकता थी, जिसके लिए 11 चीफ मिनिस्टर्स की एक कमेटी तैयार की गई और साथ ही उसमें भारत सरकार के पांच मंत्रियों को भी शामिल किया गया। इन लोगों ने मिल कर यह प्रस्ताव तैयार किया कि वर्तमान एसेशियल कमॉडिटीज एक्ट में बदलाव करने की आवश्यकता हैं, इसमें से कई आइटम्स को निकाले जाने एवं एक अम्ब्रैला लेजिस्लेशन लाए जाने की आवश्यकता हैं।

समस्याएं कई बार पैदा होती हैं, जैसे आज गेहूं की या परचेजिंग की समस्या पैदा हो गई हैं। इस प्रकार की परिस्थितियों से निपटने एवं आम लोगों के हितों की रक्षा के लिए कुछ न कुछ प्रावधान किए जाने की आवश्कता हैं अथवा यह कहा जा सकता हैं कि एक अम्ब्रैला लेजिस्लेशन की आवश्यकता हैं। इस प्रकार हम सभी के बीच में इन बातों को लेकर आम सहमति हुई। उसमें सभी पॉलिटिकल पार्टीज के चीफ मिनिस्टर मौजूद थे और सभी लोगो ने यूनानिमसली यह डिसीजन लिया और आज सरकार उस पर अमल करना चाहती हैं। एक बात अवश्य हैं कि हम लोगों ने इसकी लिस्ट को कम करने की कोशिश की हैं।

मैं एक बात नहीं समझ पाता हूं कि इनमें से कई आइटम्स ऐसी है, जिन्हें आज की परिस्थितियों में इसमें रखे जाने की क्या आवश्यकता हैं, जैसे कैटल पाउडर, फॉडर। इन पर रेस्ट्रिक्शन लगाने की मुझे तो कोई आवश्यकता दिखाई नहीं देती हैं। आज किसी को भी दुनिया में कही से भी इसे इम्पोर्ट करने का अधिकार हैं, इसलिए इस पर कंट्रोल लगाने की क्या आवश्यकता हैं?

ऐक्सैसरीज ऑफ द ऑटो मोबाइल्स हैं, आज इंडिया में दुनिया का स्पेयर्स का एक हब बनने की परिस्थिति पैदा हो रही हैं, ऐसी परिस्थिति में हम ऑटोमोबाइल्स की आइटम्स को एसेंशियल कमॉडिटीज में लाकर, इस पर रेस्ट्रिक्शन लगाने की बात करेंगे, मुझे नहीं लगता कि हमें ऐसा करने की कोई आवश्यकता हैं, क्योकि आज इस सैक्टर में पुरी दुनिया का ध्यान भारत की ओर आकर्षित हो रहा हैं।

कई स्थान ऐसे हैं, जैसे दुर्ग हैं, पूणे हैं, चेन्नई हैं, इन्दौर हैं, इन स्थानों पर आज हमें डैट्रॉयट जैसी परिस्थितियां पैदा होती नजर आ रही हैं, दुनिया के लोग वहां पर आ कर उत्पादन कर रहे हैं और आज यहां से पूरी दुनिया की ऑटोमोबाइल इंडस्ट्रीज को प्रोडक्ट्स सपोर्ट करने की परिस्थिति पैदा हो रही हैं। ऐसी स्थिति में अगर हम इन आइटम्स को एसेंशियल कमॉडिटीज में डालेंगे तो मुझे लगता हैं कि जिस रास्ते पर चल कर हम तरक्की कर सकते हैं, उस रास्ते में बाधा उत्पन्न होगी, इसलिए ऐसी आइटम्स को निकाले जाने की आवश्यकता हैं।

हम कॉटन का उदाहरण ले सकते हैं। आज कॉटन के क्षेत्र में हम सरर्पलस उत्पादन कर रहे हैं, इसलिए इसके संबंध में रेस्ट्रिक्शन लाने की क्या आवश्यकता हैं? आज कॉटन को दुनिया में बेचने की आवश्यकता हैं और जब तक हम कॉटन देश के बाहर नहीं बेचेंगे तब तक देश के कॉटन उत्पादको को, किसानों को हम अच्छी कीमत नहीं दे सकेंगे, इसलिए इसकी मूवमेंट को फ्री करने की आवश्यकता हैं और हमने इसे बाहर भेजने के लिए कदम भी उठाए हैं।

आयरन एंड स्टील हैं, इस पर भी रेस्ट्रिक्शन लगाने की कोई आवश्यकता नहीं हैं, रॉ कॉटन पर भी आवश्यकता नहीं हैं, पेपर पर भी आवश्यकता नहीं हैं। लेकिन कुछ चीजें ऐसी हैं, जहां आम लोगों के हितों की रक्षा के लिए कुछ कदम उठाए जाने की आवश्यकता हैं और इसलिए केवल ऐसी चुनिन्दा वस्तुओं को ही हमने इसमें रखा हैं। हमने किन वस्तुओं को इसमें रखा हैं? एक तो ड्रग्ज को रखा हैं। इस सदन में भी कई बार कुछ विशेष प्रकार की दवाओं की कीमतों के बारे में डिस्कशन होता रहता हैं। आम लोगों को जब एक बुरी परिस्थिति पैदा होती हैं तो एक अच्छी तरह का ड्रग रीजनेबल कीमत पर मिलने के लिए ध्यान देने की आवश्यकता हैं। इसलिए इसमें शामिल किया गया हैं। पैट्रोलियम एंड पैट्रोलियमे प्रोडक्ट, आज इस पर भी ध्यान देने की आवश्यकता हैं। बहुत बड़े पैमाने पर हमको इंपोर्ट करना पड़ता हैं और अगर इसमें हम ठीक तरह से ध्यान नही देगे तो इसमें जो मिट्टी का तेल हैं, केरोसिन तो इसमें आम लोगों के लिए कुछ नुकसान हो सकता हैं। इसमें हम लोगों ने यार्न में कोई बदलाव किया हैं तो इसमें हैड यार्न किया हैं। हैड यार्न इसलिए रखा क्योंकि हैंड यार्न पॉवरलूम हैंडलूम सैक्टर के लिए इसकी बहुत बड़ी आवश्यकता हैं और देश में हैंडलूम सैक्टर में गरीब लोग हैं। गरीब लोगों को बेसिक रॉ-मेटीरियल देने के लिए इसमें कुछ न कुछ कंट्रोल करने की आवश्यकता हैं। आज स्पिनिंग मिल पर कुछ रेस्ट्रिक्शसं सरकार ने रखी हैं। हर स्पिनिंग मिल में अपना जो उत्पादन होता हैं इसमें से कुछ परसंटेज उत्पादन हैंड यार्न बनाने के लिए करना ही चाहिए और यह हैंडलूम के लिए जो बेसिक रॉ-मेटीरियल हैं, वह उपलब्ध करके हैंडलूम इण्डस्ट्री बचाने के लिए मदद करनी चाहिए और इसलिए हमने यहीं आइटम इसमें लिया हैं। seed or food crop इसके बारे में भी मुझे कुछ कहने की कोई आवश्यकता नहीं हैं, वह भी रखा हैं। जूट टेक्सटाइल्स, इसका भी इसमें किया हैं। तो इससे एक बात साफ होती हैं कि बहुत से आइटम्स हैं जिनको रखने की आवश्यकता नहीं हैं। वह निकालने का काम यहां किया गया हैं और जिसकी आवश्यकता हैं उन पर यहां ध्यान दिया गया हैं और इसमें foodstuff including edible oill, oilseeds एंड ऑयल इसमें ध्यान दिया गया हैं। यहां यह बात कहीं गई कि फूड प्रोसस में क्या-क्या आता हैं। एग्रीकल्वर प्रोडक्ट मेनली चाहिए, cereals हों, चाहे ऑसलसीड हों, ये सब जो आइटम हैं, फूडस्टफ हैं इस पर ध्यान रखने की आवश्यकता हैं, क्योकि आम लोगों की जरूरत की ये चीजें हैं। इसमें कोई गलत काम होने की परिस्थिति दिखाई दे रही हैं

तो सरकार आंख बंद करके नहीं बैठ सकती। इसलिए सरकार को इस बारे में कुछ न कुछ कदम उठाने की आवश्यकता होती हैं। इस तरह के सुझाव देश के पांच राज्यों के मुख्य मंत्रियों ने भारत सरकार के पास 2002 की मीटिंग में युनंनिमसली होने के बाद किया हैं। आज महाराष्ट्र, आंध्र , केरल, वेस्ट बंगाल, राजस्थान के मुख्य मंत्रियों ने आज की जो परिस्थिति पैदा हो रही हैं, इस परिस्थिति में कुछ न कुछ राज्यों को अधिकार देने की आवश्यकता हैं, ऐसी रिक्वेस्ट भारत सरकार के पास दी हैं। जब ऐसी परिस्थिति पैदा होती हैं तो राज्य सरकार को बिल्कुल ही कोई अधिकार न हो और प्राइस लेवल मेंन्टेन करने की जिम्मेदारी उनको करनी चाहिए यह कहना इसमें कोई फायदा नहीं होगा। इसमें कुछ न कुछ ऐसी परिस्थिति में राज्य सरकार को भी अधिकार देने की आवश्यकता हैं। इसलिए यहां इसका प्रावधान दिया हैं। जिन राज्यों को कुछ अधिकार चाहिए तो वे अपना प्रस्ताव भारत सरकार के पास भेज सकते हैं और भारत सरकार मंत्रिमंडल की सहमति लेकर इनको इजाजत दे सकती हैं, जिससे जैसा जय प्रकाश जी ने समस्या उठाई, ऐसी परिस्थिति में उन पर रोक लगाने के लिए कुछ न कुछ कदम उठाने की एक ताकत राज्य सरकार को दे सकते हैं, जिससे आम लोगों को इससे मदद हो सकती हैं। इस तरह के यहां कुछ न कुछ प्रावधान किए गए हैं।

यह बात बतलाई गई कि बफर स्टॉक मजबूत करने की आवश्यकता हैं। यह बात सच हैं। इसेंशियल कमॉडिटीज और खास तौर पर फूडग्रेन जो बाकी आइटम होते हैं, वे मार्केट के सेंटीमेंट्स के ऊपर भी बहुत निर्भर होते हैं। इस साल हमें गेहूं भी कम मिला। मार्केट में सेंटीमेंट्स खराब हो गयी तथा पूरी दुनिया के पास एक संदेश आ गया कि भारत सरकार के पास बफर स्टॉक हमारे पास कम हैं, यह संदेश जब समाज में जाता हैं और इसका असर कीमत के ऊपर होता हैं और साथ-साथ हमारी लिबरलाइजेशन की प्रोसैस पर पूरी कीमत निर्भर होती हैं। यह स्थिति रही नहीं हैं। कल दुनिया के मार्केट में क्या होता हैं, दुनिया में कीमत की परिस्थिति क्या होती हैं, इसका असर भारत में जो पैदावारी होती हैं, दुनिया में कीमत की परिस्थिति क्या होती है, इसका असर भारत में जो पैदावारी होती हैं, इस पर भी होता हैं। पिछले 10 दिनों से 15 दिनों से शिकागों एक्सचेंज में गेहूं की कीमत ऊपर जा रही हैं। इसका असर पिछले दिनों से हम यहां देख रहे हैं। यहां पर भी कुछ न कुछ परिवर्तन हो गया, यहा थोड़ी बहुत कीमत बढ़ रही हैं। दो महीने पहले इंटरनेशनल मार्किट में चीनों के दाम ऊपर जा रहे थे, इसका असर यहां भी हुआ, यहां भी चीनी की कुछ कीमत बढ़ रही थी। ऐसी परिस्थिति में केवल जब यहां ही कुछ होता हैं, उस आघार पर हम निर्णय नहीं ले सकते, बल्कि दुनिया में जो बदलाव आ रहे हैं, उन्हे भी मद्देनजर रखते हुए हमें कुछ कदम उठाने होंगे। इसीलिए शरद जोशी साहब ने जो प्रस्ताव दिया कि आप बिल्कुल इसे स्क्रैप करो, उसे स्क्रैप करने की परिस्थिति आज यहां नहीं हैं।

(उपसभापति महोदय पीठासीन हुए)

आम लोगों के हितों की रक्षा करने के लिए हमें कुछ न कुछ कदम उठाने चाहिए। सर, मोइनुल हसन साहब ने भी कुछ सुझाव दियें हैं। जो उन्होने पीडीएस मजबूत करने की बात की हैं, इस बारे में मैंने शुरू में ही जवाब दे दिया हैं। इसके अतिरिक्त एमएसपी और सीआईपी के बारे में भी कुछ न कुछ करने की आवश्यकता हैं। एक बात यह हैं कि आज की परिस्थिति अलग हो गयी हैं लेकिन हमें यह नजरअंदाज नहीं करना चाहिए कि पिछले छः सालों से हम एमएसपी की जो कीमत दे रहे हैं,मिनमिम सपोर्ट प्राइस दे रहे हैं, इसमें सुधार कर रहे हैं, कभी दस रूपए का सुधार किया, कभी बीस रूपए का सुधार किया, कभी चालीस रूपए का सुधार किया- इस साल

पचास रूपए का बोनस देने का प्रयास किया। कीमतें ऊपर जा रही हैं। किसानों को थोड़ी बहुत ज्यादा कीमत देने के लिए प्रयास हो रहे हैं। यह पूरी जिम्मेदारी भारत सरकार ने अपने कंघो पर ली हैं। यह कहां तक चलेगा, आज इस पर भी सोचने की आवश्यकता हैं। पिछले पांच-छः सालों में प्रोक्योरेमेंट की प्राइस बढ़ाई लेकिन सेंट्रल ईशू प्राइस में कोई बदलाव नहीं किया। स्टेट गवर्नमेंट को माल जो देते हैं, इसमें कोई बदलाव नहीं किया गया हैं। वह पूरा बर्डन भारत सरकार ने लिया हैं। बर्डन कहा तक भारत सरकार ले सकती हैं, इस बारे में सोचने की आवश्यकता हैं। इसलिए राज्य सरकरों को कॉफीडेंस में लेकर इसमें सुधार करने की आवश्यकता हैं। मैं समझता हूं कि आज जो परिस्थिति हैं, वह ठीक नहीं हैं पर अगला हमारा जो खरीफ का सीजन हैं, वह पूरा होने के बाद, हमारा प्रोक्योरमेंट ठीक तरह से होने के बाद, हमारा बफर स्टॉक मजबूत होने के बाद और हमारे भंडारों में अनाज की कमी नहीं आए, ऐसी परिस्थिति होने के बाद इस सिचुएशन के बारे में हमें सोचना होगा। यह सोचने से पहले राज्य सरकारों को कॉफीडेंस में लेकर इस संबंध में हम कदम उठाएंगे, यह मैं सदन को विश्वास दिलाना चाहता हूं। स्टेट गवर्नमेंट की पॉवर्स यहां कम करने की बात होती हैं या नहीं, इस बारे में भी कुछ बातें उठायी गयी। जैसा मैंने शुरू में कहा कि इसमें हमने जो पांच-छः आइटम्स ली हैं, इसके माध्यम से अगर आवश्यकता पड़ी या स्टेट गवर्नमेंट्स ने अगर इजाजत मांगी तो उनको यह अधिकार देने के लिए हम तैयार हैं। जिन राज्यों ने इस बारे में हमारे पास मांग की हैं, उनके बारे में मैंने इससे पहले ही आपको बतलाया कि इन राज्यों को वहां की परिस्थिति को कंट्रोल करने के लिए जो भी कदम उठाने की आवश्यकता हैं, उसके अधिकार एक लेवल पर देने के लिए भी हम तैयार हैं। पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में एक आर्डर, एक कानून आज हमारे सामने हैं। उस कानून के अनुसार भी कुछ राज्य सरकारों को अधिकार हैं। कई राज्य सरकारों ने पिछले दो तीन सालो में बड़े पैमाने पर रेड्स डाली हैं, जहां होर्डिग की गयी,उनके खिलाफ उन्होने कुछ न कुछ एक्शसं लिए हैं और कई लोगों के खिलाफ केसिज भी चालू किए हैं। इसके डिटेल्स राज्य सरकारों के माध्यम से हम लोगों ने मंगावाएं हैं। इम्पोर्ट और एक्सपोर्ट के बारे में किसानों के हितों पर ध्यान देने की आवश्यकता हैं, यह भी सुझाव एस.जी. इन्दिरा जी ने और बाकी सदस्यों ने दिये हैं। शरद जोशी जी ने यहां जो शिकायत की, वह भी सच हैं कि एक समय ऐसा था जब प्याज के भाव बिल्कुल नीचे आ गए, तब उन किसानों को ,प्याज उत्पादकों को ठीक तरह से मदद नहीं हो सकी किन्तु जब थोड़ी सी कीमत बढ़ गयी तो इसके इसके एक्सपोर्ट पर बैन लगाने का काम हम लोगो मे किया हम लोग इस बैन को लगाने के समर्थन में नहीं हैं, लेकिन जब आम कंज्यूमर के हितों की रक्षा करने की नौबत आती हैं या समस्या पैदा होती हैं, तब ऐसे कुछ कदम उठाने पड़ते हैं। वे कदम लंबे समय के लिए नहीं होते हैं। उन कदमों के बारे में सोचने की भी आवश्यकता होती हैं, इसलिए इस बारे में प्रावधान किया हैं कि सरकार को कुछ कदम उठाने हों, तो वे कदम वह उठा सकती हैं, छः महीने तक इस बारे में कदम उठा सकती है। यदि छः महीने का समय पूरा न हो, तो बढ़ाने का भी अधिकार सरकार ने अपने हाथ में रखा हैं, क्योकि कृषि उपज दुनिया के मार्केट में जाकर, इंटरनैशनल मार्केट मे हमारे एग्रीकल्वर प्रोड्यूय का एक मजबूत स्थान होने की आवश्यकता हैं और वह करना हो, तो एक consistency रखनी हैं और continuity रखनी हैं और वह रखने के लिए जितनी आसान परिस्थिति हम पैदा कर सकते हैं, इस पर ध्यान देने की आवश्यकता हैं, इसलिए आज यहां इस तरह का प्रावधान किया गया हैं।

ज्ञान प्रकाश जी ने कहा कि सिर्फ पांच-छः राज्यों के चीफ मिनिस्टरों को बुलाया गया हैं, यह बात सच नहीं हैं। ग्यारह राज्यों के चीफ मिनिस्टरों को यहां बुलाया गया था। इसके

बाद भी इन इंश्यूज के ऊपर कोई कदम उठाने हों,तो राज्य सरकार को contidence मे लेने की आवश्यकता हैं। यहां के सुझाव उन्होने दिया हैं, तो राज्य सरकार को हम अवश्य विश्वास में लेंगे, क्योकि इस पर ultimately अमल करने की जिम्मेदारी राज्य सरकार की है और जब राज्य सरकार की जिम्मेदारी हैं, तो राज्य सरकार को नजरंदाज करके हम कोई ऐसा कदम उठाना नहीं चाहते।

जय प्रकाश अग्रवाल जी ने कहा कि मंझी के बाहर जाकर खरीद की हैं, यह बात सच हैं। मैंने इससे पहले इस बारे में कहा कि ऐसी परिस्थिति पैदा हो गई हैं, आज की स्थिति में मैं इतना ही कहना चाहता हूं कि जहां आवश्यकता हैं, वहां कंट्रोल रखने के लिए कदम उठाने के लिए कुछ न कुछ आयुध सरकार के हाथ में होना चाहिए, राज्य सरकार के हाथ में होना चाहिए, इसलिए कुछ item इस कानून में रखे गए। जहां इस कानून में रखने की आवश्यकता नहीं हैं, परिस्थिति में बदलाव आया हैं, ऐसी स्थिति में हमें कुछ न कुछ exemption करने की बडी आवश्यकता हैं।

महोदय, यहां कोल के बारे में बतलाया गया-हम किसलिए इसको स्वीकार करते हैं इसकी क्यों आवश्यकता हैं,कोल को इस लिस्ट में रखने की आवश्यकता क्यों हैं, इस तरह का सुझाव यहां आया हैं। मैं सदन के सामने यह बात कहना चाहता हूं कि Mines & Minerals Development Regulation Act के मुताबिक कोल के ऊपर कंट्रोंल रखने के अधिकार का दूसरे कानून में प्रावधान किया हैं, इसलिए महसूस माइन्स मिनिस्ट्री के कानून में यह प्रावधान, डबल प्रावधान करने की आवश्यकता नहीं हैं, इसलिए यहां से निकला और वहां अगर कोई कंट्रोल करने की आवश्यकता हैं, वहां रखा हैं।

दूसरा जो पेपर के बारे में सुझाव हैं कि आज Industrial Development Regulation Act में पेपर, खास तौर पर न्यूजप्रिंट पर कंट्रोल करने का एक प्रावधान रखा हैं, यहां डबल होता हैं, इसलिए यहां निकालने का काम किया गया हैं।

तीसरा कॉटन के बारे में इससे पहले मैंने, जो परिस्थिति बदली हैं, वह सदन के सामने रखी है। जहां आवश्यकता नहीं हैं, वहां इंस्पैक्टर राज वगैरह की जो बातें यहां कहीं गई, वह लाने का हमारा कोई विचार नहीं हैं, मगर यह बात सच हैं कि जब कोई hoarding करके आम लोगों की लूट करने का काम करता हैं, ऐसे समय पर सरकार आंखें बंद करके बैठ नहीं सकती हैं, उसको कुछ न कुछ अधिकार देना चाहिए। राज्य सरकार को अधिकार देना चाहिए और राज्य सरकार की यंत्रणा से इस पर ध्यान देकर, जो लोगों की लूट करने वाली क्लास हैं, इनके ऊपर एक जबरदस्त दहशत पैदा करने का काम उनको करना चाहिए और वह करने के लिए, कुछ न कुछ उनको जो अधिकार चाहिए, इसकी सुविधा इस कानून के माध्यम से दी हैं और जहां जरूरत नहीं हैं, वह निकालने का काम यहां किया गया हैं। इस तरह से एक तरह की balanced approach देकर यह Essential Commodities Act में यह सुधान लाने का प्रयास भारत सरकार के माध्यम से किया गया हैं,मुझे विश्वास हैं कि सदन इसकी स्वीकृति करके इसको समर्थन देना।

श्री रामदास अग्रवाल : उपसभापति जी, मैं एक छोटा सा स्पष्टीकरण माननीय मंत्री जी से चाहता हूं। अभी उन्होने जो वक्तव्य दिया, उसके मुताबिक 16 मिलियन टन इनको प्रोक्योरेमेंट करना था, हुआ 9 मिलियन टन और 7 मिलियन टन की कमी रही, क्योकि रेट जो

उन्होने fix up किए थे,वे कम रहे, किसान को बाजार में ज्यादा मिला-यह उन्होने कहा हैं। इसका मतलब मैं यह समझता हूं कि प्रोक्योरमेंट का प्राइस सरकार तय करेगी, जब भी तय करेगी, उससे ऊपर मार्केट के रेट रहने वाले हैं, यह हम सब प्रैक्टिकली जानते हैं। इसका मतलब यह होगा कि आगे आने वाले समय में इस पब्लिक डिस्ट्रिब्यूशन सिस्टम को मेंटेन करने के लिए सरकार को हमेशा गेहूं या अन्य ग्रेन्स कम मिलेंगे, आज तो यह सात मिलियन टन कम हुआ हैं, अगर कल यह दस मिलियन टन कम हो जाएगा, तो इसका अर्थ यह होगा कि पब्लिक डिस्ट्रिब्यूशन सिस्टम या तो लड़खड़ाएगा या लोगों को खाने को नहीं मिल पाएगा या फिर सरकार इम्पोर्ट करेगी। इसके अलावा इनके पास कोई दूसरा रास्ता नहीं हैं। इसका अर्थ यह हुआ कि एक perpetual system हम इन्ट्रोड्यूज करने जा रहे हैं, जिसके माध्यम से हमको हर वर्ष सात मिलियन टन या इससे भी ज्यादा इम्पोर्ट करना पड़ेगा। इम्पोर्ट हमेंशा महंगा होता हैं, यह हम सबको मालूम हैं, जब इम्पोर्ट मंहगा होगा, तो हम किसान को ज्यादा पैसा नहीं दे सकते, लेकिन इम्पोर्ट में ज्यादा देंगे, यह कौन सी पॉलिसी हैं,जिसके कारण पब्लिक डिस्ट्रिब्यूशन सिस्टम को बचाने के लिए यह एक्ट लाए हैं?

श्री शरद पवार : उपसभापति महोदय इसके बारे में सीधी बात यह हैं और जिसका मैंने शुरू में जिक्र किया हैं कि हमें प्रोक्योरमेंट पॉलिसी में सुधार करने की आवश्यकता हैं। मिनिमम सपोर्ट प्राइज, जहां किसानों की उपज का distress सेल होता हैं, उस distress sale से किसानों को बचाने के लिए MSP का इस्तेमाल करना चाहिए। हमें बफर स्टॉक मजबूत करना हैं, पब्लिक डिस्ट्रिब्यूशन की जो हमारी जिम्मेदारी हैं, हमें किसानों को मार्किट रेट देने की तैयारी रखनी होगी और उसे मार्किट के रेट देकर, हमें वह खरीदना होगा और वहां सब्सिडी देकर पब्लिक डिस्ट्रिब्यूशन में एवेलेबल कराने की तैयारी रखनी होगी। यदि यह नहीं करेंगे, तो किसानों के हितों की रक्षा हम कर नहीं सकते। इस सदन में हम किसानो की आत्महत्या के बारे में बार-बार डिसकशन करते हैं, इनमें से उनको remunerative प्राइज नहीं मिलती, एक बहुत बड़ी समस्या हैं, हम इसे नजर अंदाज नहीं कर सकते ?

MR. DEPUTY CHAIRMAN: The question is:

"That the Bill further to amend the Essential Commodities Act, 1955, be taken into consideration."

The motion was adopted.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Now, we shall take up clause-by-clause consideration of the Bill.

Clause 2 was added to the Bill.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: In ciause 3, there are three amendments (Nos.3 and 5) by Shrimati Brinda Karat and amendment (No.4)

by Shri Moinul Hassan. Mrs. Brinda Karat, do you want to move the amendment?

SHRIMATI BRINDA KARAT: Yes, Sir.

CLAUSE 3 Insertion of new section 2A

SHRIMATI BRINDA KARAT: Sir, I move:

3. "That at page 2, line 9 be deleted."

"That at page 2, lines 12 to 16, *for* the words "not exceeding six months to be specified in the notification: Provided that the Central Government may, in the public interest and for reasons to be specified, by notification in the Official Gazette, extend such period beyond the said six months, "the words "that the Central Government may think proper in consultation with State Governments" be *substituted.*"

उपसभापति महोदय, मैं इस सदन को बताना चाहती हूं कि हमें इस बात का खेद हैं कि इस समय जब महंगाई बढ़ रही हैं, जब लोगों को इस बात की चिता हैं कि hoarding इतनी बढ़ रही हैं, उस समय सरकार Essential Commodities Act को ditute करने का एक संशोधन लाई हैं। सर, पहली बात यह हैं कि हम खेद प्रकट करते हैं क्योकि यह जो संशोधन लाए हैं, यह Essential Commodities Act को dilute कर रहे हैं। इसलिए हमने आदरणीय कृषि मंत्री श्री शरद पवार जी से रिक्वेस्ट की कि जब एक कॉन्टेक्स्ट के अंदर यह स्थिति पैदा हो रही हैं, तो हम यह क्यों करने जा रहे हैं कि हम मेन एक्ट से कुछ essential Commodities को शैड्यूल में लेकर आ रहे हैं। ऐसा करके हम क्या मैसेज दे रहे हैं? जैसा कि अभी इन साहब ने कहा हैं कि कोल का एक अलग एक्ट हैं, कॉटन का एक अलग एक्ट हैं और इसका एक अलग एक्ट हैं, तो ठीक हैं वह है तो हैं। कल वह भी खत्म हो जाएगा और यहां भी खत्म हो जाएगा, फिर क्या हालते होगी? इसलिए हम लोगों ने इनसे बार-बार यह रिक्वेस्ट की कि इस समय आप इस एक्ट को मत लाइए। इन्फैक्ट आपको लाना चाहिए कि हम व्हीट के बारे में essential Commodities के रूप में हम क्या कदम उठाने जा रहे हैं? चीनी के बारे में essential Commodities के रूप में हम क्या कदम उठाने जा रहे हैं? सर, आपने बिल्कुल इसके विपरीत किया हैं, इसलिए मैं अपनी पार्टी की तरफ से स्पष्ट करना चाहती हूं कि हमें खेद हैं जो आप एक्ट ला रहे हैं। इसलिए मैंने यह अमेंडमेंट मूव किया हैं कि जहां आपने लिखा हैं कि essential Commodities को आप हटा रहे हैं। मैं सदन का ध्यान इस बात की ओर आकर्षित करना चाहूंगी कि कुछ ही दिन पहले, यहां महंगाई के बारे में बहस हुई थी, सबने कहा कि उस समय बीजेपी ने essential Commodities की जो संख्या कम की, वह गलत था, इसलिए सरकार को उसको रिसेन्ड करना चाहिए। हम सब लोगों की यह मांग थी। बीजेपी के साथियों ने भी कहा कि अगर आप उसको गलत समझते हैं तो उसको हटाइए। लेकिन आज इसके बजाय कि वह हाउस आफ सेंस की जो बात थी, क्या हम essential Commodities को

हटाने नहीं जा रहे हैं और जो एनडीए सरकार ने उस संस्था को कम किया, उस आर्डर्स को हम हटा रहे हैं। शरद जी ने हमें उस संबंध में कोई आश्वासन नहीं दिया। इन्होने और पावर्स मांग ली कि हमें पावर दीजिए कि हम उसको और घटा दें। इसलिए यह जो मेरा अमेंडमेंट हैं, मैं शरद जी से नम्र निवेदन करती हूं कि इसके बारे में जो वह और Power चाहते हैं, इसको हटाने के लिए, घटाने के लिए ये मेरे अमेंडमेंट को स्वीकार करें। जर्नादन जी भी इसके बारे में कुछ बोलना चाहते हैं।

The *questions were proposed.*

SHRI JANARDHANA POOJARY (Karnataka): Sir, with your permisslbn, I may be permitted to make a statement. Sir, Madam Sonia Gandhi called a meeting of the Chief Ministers. In that meeting, they made a representation. What she has stated now is also very clear. A wrong message will go. I will tell you, Sir, on that day, the Chief Ministers had made a clear representation to Madam Gandhi saying that because of the change in the Essential Commodities Act, all these things have happened. They cannot control the prices. A wrong message will go now. *...(Interruptions)...*

SHRI MOINUL HASSAN: Sir*....(Interruptions)...*

MR. DEPUTY CHAIRMAN: No, no, there is no debate on that. *...(Interruptions)...* आपका अमेंडमेंट हैं। बोलिए, बोलिए।

SHRI V. NARAYANASAMY: Sir, he has already spoken on this.

SHRI MOINUL HASSAN: Yes, Sir.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: You could have brought that point during the course of your speech. *...(Interruptions)...* You have already spoken. *...(Interruptions)...* Why do you want to speak again? *...(Interruptions)...*

SHRI MOINUL HASSAN: Sir, I would just like to make only two new points.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Okay. *...(Interruptions)...*

SHRI MOINUL HASSAN : Sir, I am not repeating what I have already said. I would like to ensure it that I would not repeat those points which I have made earlier. My two points are these. The first point is regarding the removal of some commodities from the list. My point is, there may be, at times, non-availability of these commodities. This is number one. Price-hike may take place, in this regard. Why do we need to remove frequently some commodities from the list of the Essential Commodities

Act? So, I would like to request the hon. Minister to keep it intact in the Essential Commodities Act. Not only that, it should include other articles in this list also.

श्री जय प्रकाश अग्रवाल : स्टैंडिंग कमेटी में भी तो आपके आदमी थे।

श्री रुद्रनारायण पाणि (उड़ीसा) **:** आदमी नहीं, सदस्य थे। स्टैंडिंग कमेटी में आदमी नहीं, सदस्य रहते हैं।

श्री उपसभापति : पाणि जी, मंत्री जी को बोलने दीजिए।

श्री शरद पावर : मैं वृदां जी से बड़ी विनम्रता से कहना चाहता हूं कि इसमें आम लोगों के हितों की रक्षा करने के लिए कुछ items की आवश्यकता हैं, लेकिन जैसा मैंने शुरू में कहा कि drugs, fertilizer, foodstuffs, including edible oilseeds and oils, hank yarn, petroleum and petroleum products, raw jute and jute textiles, seeds of food-crops, jute seeds and seeds of cattle fodder -ये सभी important items हमने रखे हैं और मैंने इससे पहले भी कहा कि इनमें से कुछ items ऐसे हैं कि जिनकी आज हमें आवश्यकता नहीं लगती हैं-आज हमें coal के बारे में आवश्यकता नहीं लगती हैं, iron and steel कें बारे आवश्यकता नहीं लगती हैं, automabile spares के बारे आवश्यकता नहीं लगती हैं, जहां आवश्यकता नहीं लगती हैं, वहां इसे रखने की कोई आवश्यकता नहीं हैं। यह करने के लिए सरकार को कुछ न कुछ अधिकार होना चाहिए और इसलिए जो यह अमेंडमेंट आ रहा हैं- page 2 line 9 be deleted लाइन 9 पर जैसे हमने delete करने का अधिकार लिया हैं, वैसे ही add करने का अधिकार भी रख दिया हैं। जरूरत पड़े तो हम कोई भी item add कर सकते है और यदि आवश्यकता न हो, तो खाली कानून में रखकर हम गलत संदेश नहीं भेजना चाहते हैं। इसलिए हमें delete करने का अधिकार हैं। जब delete करने का अधिकार हैं, तो इसके साथ-साथ add करने का भी अधिकार हैं। इसलिए मुझे लगता है कि सरकार परिस्थिति देखकर consumers के हितों की रक्षा के लिए काम करेगी, उनके हितों को नजरअंदाज नहीं करेगी और समझदारी से काम करेगी, यह विश्वास मैं सदन को दिलाना चाहता हूं। इसलिए मैं वृदां जी से और बाकी साथियों सो कहूंगा कि आप इस बारे में insist मत करिए।

श्रीमती वृदा कारत : मै एक स्पष्टीकरण चाहती हूं। शरद जी कह रहे हैं कि अभी जो overriding power वे चाहते हैं कि किसी भी वक्त वे किसी भी essential commodity को लिस्ट से हटा सकते हैं। क्या इसमें आप कहीं भी consultation करेंगे या किसी से डिसकस करेंगे या ऐसे ऑर्डर दे देंगे? मैं आपसे यह स्पष्टीकरण चाहती हूं। आप हमें इस पर थोड़ा आश्वासन दे दीजिए, ताकि हम इस amendment के बारे में ....(**व्यवधान**)...

श्री उपसभापति : इस पर और डिबेट मत कीजिए। No more debate on this.

SHRI S.S. AHLUWALIA (Jharkhand) : We are not debating, Sir.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: It is debate only!

श्रीमती वृंदा कारत : नहीं, आपने इसके बारे में जो कहा कि आप सेंट्रल गवर्नमेंट को फुल पॉवर देना चाहते हैं, तो मैं आपसे यह रिक्वेस्ट कर रही हूं कि आप कहीं तो यह कहिए कि आप consultation process करेंगे। आप वह तो बता दीजिए।

श्री शरद पवार : आप दोनो का यह जो सुझाव हैं, इसे स्वीकार करना मेरे लिए मुश्किल हैं। मगर यहां एक दूसरा amendment आया हैं कि,

That at page 2, after line 9, the following be *inserted,* namely,

"in consultation with the State Governments."

श्री उपसभापति : आप सुनिए, वे बोल रहे हैं।

श्रीमती वृंदा कारत : सर, मैं सुन रही हूं, लेकिन वे कहां जोड़ रहे हैं, यह भी तो मुझे देखना हैं न।

श्री शरद पवार : जहां स्टेट गवर्नमेंट को consult करने की आवश्यकता हैं, इस तरह का सुझाव हैं, इसे मैं स्वीकार करने के लिए तैयार हूं,मगर इसे सभी जगह करने की आवश्यकता नहीं हैं।

श्री रामदास अग्रवाल : इसी amendment के बारे में वृंदा जी ने जो रखा हैं .....(**व्यवधान**)....

SHRIMATI BRINDA KARAT: "Subject to the provisions of sub-section (4), the Central Government may, in consultation with the State Government, if it is satisfied that it is necessary to remove...", let him say that!

SHRI SHARAD PA WAR: It is said that...

SHRIMATI BRINDA KARAT: No, that is in the next consultation, it comes in clause (3).

श्री उपसभापति : वही बता रहे हैं न।

श्रीमती वृंदा कारत : सर, वह अलग चीज हैं।

श्री रामदास अग्रवाल : उपसभापति महोदय, मैंने भी माननीय मंत्री जी से यह बात कहीं थी कि आप जो कुछ भी यह कायदा कानून बना रहे हैं, इसमें राज्य सरकारों की भी भूमिका हैं। इसी नाते से उहे इस amendment को स्वीकार करना चाहिए, क्योकि जब तक आप राज्य सरकारो को confidence में नहीं लेंगे, consultation नहीं करेंगे, तो आपका बनाया हुआ यह कानून जहां लागू होना हैं, उसे जिन्हे execute करना हैं, उससे उनका काम नहीं चल पाएगा।

8.00 P.M.

सर, इसमें एक दूसरी बात और हैं। उपसभापति महोदय, मैं कहना चाहता हूं कि Mr. Poojary has just now said that some Chief Ministers met Mrs. Gandhi. I do not bother about *(Interruptions)...*

SHRI V. NARAYANASAMY: The Chief Ministers' views, he has mentioned. We are concerned about it. But the NDA Government did a wrong thing ...... *(Interruptions)...*

श्री उपसभापति : आप उसे छोडिए।

श्रीमती वृंदा कारत : सर, मैं यह पूछ रही हूं, सिर्फ एक स्पष्टीकरण पूछ रही हूं कि जो amendment आप accept कर रहे हैं "in consultation with the State Government", I want it to be made very clearly, at least for my own satisfaction, does it include consultation with the State Government regarding clause 2A(2) to remove any commodity from such schedule? That is all I am asking.

SHRI SHARAD PAWAR: As far as the Amendment (No.4), namely,

That at page 2, *after* line 9, the following be *inserted* namely, -

"in consultation with the State Governments" is concerned, I am ready to accept and it should be treated as an official amendment बाकी नहीं,

SHRIMATI BRINDA KARAT: That is in clause 3, not in clause 2, Sir.

SHRI S.S. AHLUWALIA: Sir, I have a pointed question, आप इसमे केवल यह बता दें, आपने अपने भाषण में बताया, पर इस बीच पुजारी जी ने एक सवाल उठाया कि ....(**व्यवधान**).... वह सवाल important हैं। किसलिए? क्योकि यह बिल उसी के लिए लाया गया हैं। 29 जून को कांग्रेस वार्किग कमेटी की बैठक हुई और उसके बाद कांग्रेस रूल्ड स्टेट्स के चीफ मिनिस्टर्स की कांफ्रेस हुई, जहां पर यह सवाल उठा कि चूंकि 2002 में एनडीए ने एक notifocation जारी किया था, जिसके कारण महंगाई बढ़ रही हैं। यह बात उठी और इस पर प्रेस कांफ्रेस करके बाकायदा बोला गया। मेरा कहना हैं कि 2002 के notifocation को withdraw करने के लिए आप बिल लेकर आए है। क्या मंत्री महोदय हाउस को assure करेंगे कि इसके बाद महंगाई नहीं बढ़ेगी, महंगाई कम हो जाएगी, दालों की कीमतें कम हो जाएगी? क्या वे assure करेंगे? अगर नहीं करेंगे, तो ऐसा सोचना कि इस notifocation के कारण महंगाई बढ़ी, ऐसा सोचना गलत हैं।

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Now I shall put amendments (Nos.3 and 5) moved by Shrimati Brinda Karat to vote.

Amendments (Nos.3 and 5) were negatived.

SHRIMATI BRINDA KARAT: He has accepted that amendment. *...(Interruptions)...* Sharadji has accepted our amendment. *...(Interruptions)...* Sir, there are two amendments, one is in "consultation with the State Governments" *...(Interruptions)...*

MR. DEPUTY CHAIRMAN: You spoke on that. You see we put all the three amendments together, I said. *...(Interruptions)...*

SHRI SHARAD PAWAR: Sir, on page 2, after line 9, following be inserted, namely, "in consultation with the State Governments", I have said that I have accepted that. *...(Interruptions)...* I beg to move;

> That at page 2, *after* line 9, the following be *inserted,* namely, - "in consultation with the State Governments."

The *question was put and the motion was adopted.*

Clause 3, as amended, was added to the Bill.

Clauses 4 to 6 were added to the Bill

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Now we shall take up the Schedule. There is one Amendment by Shrimati Brinda Karat. *...(Interruptions)...* It is only to Schedule. *...(Interruptions)...*

SHRIMATI BRINDA KARAT: But before that, you have not let me speak on that. I moved an amendment for deletion.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Which one?

SHRIMATI BRINDA KARAT: Not exceeding six months. My fifth amendment, page 2, line 12 to 16. *...(Interruptions)...* That means deletion.

SHRI SHARAD PAWAR: Let it be passed. *...(Interruptions)...*

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Leave it. *...(Interruptions)...*

SHRIMATI BRINDA KARAT: Okay, okay. *...(Interruptions)...*

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Are you insisting on the amendment to Schedule? *...(Interruptions)...*

SCHEDULE

श्रीमती वृंदा कारत : Yes, Sir. I beg to move:

That at page 3, *after* line 14, the following be *inserted,* namely-

(8) coal, including coke and other derivatives;

(9) cotton and woollen textiles;

(10) paper, including newsprit."

मैने कहा कि यह जो सरकार की पूरी दृष्टि हैं और माननीय मंत्री जी ने जैसे कहा कि क्योकि यह कानून हैं, वह कानून हैं, इस के बारे में यह double jeopardy हो जाएगी। मैं समझती हूं कि आज की स्थिति में यह दलील सही नहीं हैं। इसलिए मेरा यह मानना हैं कि माननीय मंत्री जी इस को रखें क्योकि उन्होने खुद यह स्वीकार किया हैं कि वह आवश्यक चीज हैं। उन्होने सिर्फ यह कहा कि क्योकि already कानून हैं, इसलिए हम इस को नहीं कर रहे हैं। तो सर, जो अभी तक चल रहा हैं, वह इस को क्यों delete करना चाहते हैं?

The *question was proposed.*

श्री शरद पवार : स्पैफिक प्रोवीजन हैं, दूसरे एक्ट में इस को कंट्रोल करने के बाद और डबल करने की कोई आवश्यकता नहीं हैं।

MR. DEPUTY CHAIRMAN: I shall now put Shrimati Brinda Karat's Amendment (No.6) to vote.

Amendment (No.6) was negatived.

The Schedule was added to the Bill.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: In clause 1 there is one amendment (No.2) by the hon. Minister.

CLAUSE-1

Short title and commenottnent

SHRI SHARAD PAWAR: Sir, I move:

(2) That at page 1, line 2, *for* the figure "2005" the figure "2006" be *substituted.*

The question was put and the motion was adopted.

Clause 1, as amended, was added to the Bill.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: In the Enacting Formula, there is one amendment (N0.1) by the hon. Minister.

ENACTING FORMULA

SHRI SHARAD PAWAR: Sir, I move;

That at page 1, line 1, for the word "Fifty-sixth" the word "Fifty-seventh" be *substituted.*

The question was put and the motion was adopted. The Enacting Formula, as amended, was added to the Bill.

The Title was added to the Bill,

SHRI SHARAD PAWAR: Sir, I move: "That the Bill, as amended, be passed".

The question was put and the motion was adopted.

SPECIAL MENTIONS

MR. DEPUTY CHAIRMAN: We will now take up Special Mentions. Let us lay them on the Table of the House. Shri Janardhana Poojary.

Demand for financial assistance to Karnataka to tide over drought and flood

SHRI JANARDHANA POOJARY (Karnataka): Sir, Karnataka is facing dual challenges simultaneously today. While 157 tehsils spread across 16 districts in the State are reeling under drought situation, nearly eight districts, i.e. Raichur Gulbarga, Bijapur Bidar, Chamrajnagar, Koppal, Belgaum and Bagalkot, are flooded.

There is acute shortage of fodder for the cattle and drinking water for the people of the areas facing drought on account of inadequate rainfall this season. It is estimated that about 50% of the crop would be damaged on account of the drought condition in the area. Both human beings and cattle are facing hardship. If immediate remedial measures are not taken, the situation is likely to deteriorate further. Water levels in the rivers adjoining the affected areas, *i.e.* Krishna, Bheema and Ghataprabha; are continuously rising largely on account of Maharashtra releasing water from their Ujjaini and Koina Dams. A large parts of the districts facing flood are inundated, threatening life and property in these locations. There is already a heavy toll of property in the area. As a precaution, thousands of people living in the affected areas have to be shifted and rehabilitated in safer areas immediately to prevent any loss of life.

The State Government needs immediate assistance from the Centre to face the twin challenges confronting Karnataka.